



REPRESENTATIVE FOR
CHILDREN AND YOUTH

बाल तथा युवा प्रतिनिधि

पक्ष-समर्थन
तथ्य पत्र

लक्ष्य

यह सुनिश्चित करना कि बच्चों, युवाओं और युवा वयस्कों के अधिकारों और हितों को संरक्षित और बरकरार रखा जाए, और उनके विचारों को निर्णय लेने वाले लोगों द्वारा सुना और माना जाए।

RCY के अधिवक्ता किसकी मदद करते हैं?

उन बच्चों और युवाओं की जिन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली या वित्तीय सहायता दी जाने वाली समीक्षा योग्य सेवाएं या कार्यक्रम प्राप्त होते हैं, जिनमें शामिल हैं: बाल, परिवार तथा समुदाय सेवा कानून के अंतर्गत सेवाएं, आरंभिक बचपन विकास या बाल देखभाल, बच्चों के लिए व्यसन संबंधी सेवाएं, बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, रिश्तेदार के घर में बच्चे के लिए सहायता, गोद लेने संबंधी कानून के तहत सेवाएं, युवा न्याय कानून के तहत सेवाएं, कम्युनिटी लिविंग अथॉरिटी एक्ट के तहत सेवाएं तथा बाल और युवा प्रतिनिधि कानून के अंतर्गत कानून द्वारा निर्धारित अन्य अतिरिक्त सेवाएं या कार्यक्रम।

समीक्षा-योग्य सेवाएं आमतौर पर बाल तथा परिवार विकास मंत्रालय (MCFD) या उसकी किसी प्रतिनिधि आदिवासी एजेंसी द्वारा या तो प्रदान की जाती हैं या सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं। इसमें निम्न के लिए सेवाएं शामिल हैं:

- देखभाल किए जा रहे बच्चे और युवा
- युवा लोग किसी युवा समझौते के तहत
- हिरासत में रखे गए में युवा
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और युवा
- वयस्क सेवाओं में परिवर्तित हो रहे विशेष सेवाओं वाले युवा
- युवा वयस्क, अपने 19 वें से 24 वें जन्मदिन तक, जो कम्युनिटी लिविंग बीसी से सेवाएं प्राप्त करने के लिए पाल हैं और जिन्होंने अपने 19 वें जन्मदिन के 15 महीनों के भीतर एक समीक्षा-योग्य सेवा प्राप्त की है।

हम बच्चों, युवाओं तथा युवा वयस्कों की सहायता कैसे कर सकते हैं?

- अधिकारों के बारे में चर्चा करना और इस बारे में कि अगर इन अधिकारों की अनदेखी होती है तो क्या किया जाए।
- उनकी ज़रूरत की सेवाओं तथा कार्यक्रमों के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता।
- इस तरह बोलने में उनकी सहायता करना जिससे उनकी समस्या हल हो सके।
- उनको प्राप्त होने वाली देखभाल तथा सेवाओं तथा उनके बारे में लिए गए फैसलों के बारे में चर्चाओं में भाग लेना।
- MCFD केयर से बाहर निकलने की प्रक्रिया में सहायता करना।
- कम्युनिटी लिविंग बी.सी. की सेवाओं के लिए योग्य लोगों को परिवर्तन में सहायता करना।

हम क्या नहीं कर सकते

- मंत्रालयों, बाल- तथा युवा-सेवी संस्थाओं या CLBC द्वारा लिए गए फैसलों को बदलना।
- कानूनी अदालत में बच्चों तथा युवाओं की ओर से बोलना या उनके बारे में लिए गए फैसलों को प्रभावित करना।
- हिरासत या संपर्क के मामले में बच्चों का प्रतिनिधित्व करना या इन प्रबंधों को बदलना।
- बाल सुरक्षा सेवाएं प्रदान करना।
- प्रतिनिधित्व संबंधी समझौते या कमेटीशिप के लिए आवेदन के मामले में युवा व्यक्ति की ओर से कार्यवाही करना।